न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 34/23 GCMS NO 2023/105

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. मोहम्मद राशिद पुत्र अब्दुल वाहिद
2. मोहिन खान पुत्र अब्दुल वाहिद
3. अब्दुल वसीम पुत्र अब्दुल वाहिद
4. शकीला पुत्री अब्दुल वाहिद
5. सवीला बानो पुत्री अब्दुल वाहिद
6. राशिद बानो पुत्री अब्दुल वाहिद
7. ताबीसा बानो पुत्री अब्दुल वाहिद
8. वकीला बानो बेवा अब्दुल वाहिद जातियान मुसलमान निवासी बडी उदई तहसील गंगापुर सिटी

(अपील विरूद्व मु0नं0 101/16 निर्णय व डिकी दिनांक 29.1.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 पैरोकार सरकार

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम खान

दिनांक 28.01.25

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 29.1.21 न्यायालय उप ज़िला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 द्वारा दावा घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी को ग्राम उदई कलां मे दिनांक 28.1.83 को भूमि साबिक ख0न0 1437 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा राजस्व अभियान के दौरान एडवाईजरी कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी। तभी से इस भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्ष 1983 मे तहसील गंगापुर सिटी मे भू प्रबंध की कार्यवाही विचाराधीन होने से वादी के हक मे उस समय नामा0 की कार्यवाही नही को सकी। अप्रेल 1983 मे गजट नोटीफिकेशन से भू प्रबंध की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। भू प्रबंध के कर्मचारियो ने गलत मिलान क्षैत्रफल तैयार कर साबिक ख[illegible] ख0न0 4910 रकबा 0.14 है0 कायम किया गया तथा बाकी 6 ऐयर रकबा हाल ख[illegible] 49[illegible] मे दर्ज कर दिया गया एवं मिलान क्षैत्रफल मे ख0न0 4909 को साबिक ख0न0 438/1 से [illegible] गलत अंकित कर दिया। जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:45 IST
Reason: SelfAttested

हाल ख0न0 4909 वादी को आवंटित भूमि साबिक ख0न0 1437 को हिस्सा है। ख0न0 4909 व 4910 सिवायचक दर्ज चले आ रहे है। जबकि ये दोनो नम्बर वादी की खातेदारी की भूमि है। राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज रहने से तहसीलदार द्वारा वादी के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही कर वादी को भूमि से बेदखल करना चाहता है। इस कारण वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 4909 व 4910 ग्राम उदई कलां जो साबिक ख0न0 1437 का हिस्सा है एवं वादी की आवंटनशुदा भूमि है को सिवायचक से हजफ कर वादी की खातेदारी मे दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी को इस भूमि से बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि दिनांक 28.1.83 मे आवंटित भूमि वर वादी/रेस्पो0 का आवंटन के पश्चात दो वर्ष तक कब्जा नही रहा है। अर्थात वादी ने भूमि आवंटन के बाद भूमि आवंटन की शर्तो के अनुसार प्रथम वर्ष मे अर्थात सम्वत 2040 मे पचास प्रतिशत भूमि काश्त नही की व शेष भूमि द्वितीय वर्ष अर्थात सम्वत 2041 मे भी काश्त नही की। इस प्रकार वादी ने आवंटित भूमि को दो वर्षो तक पडत ही रखा व उस पर कब्जा भी नही किया। इसलिए आवंटन नियमो के तहत राजस्व कर्मचारियो ने उक्त आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। उक्त आवंटित भूमि ख0न0 1437 के नये ख0न0 4910 रकबा 0.14 है0 व ख0न0 4911 रकबा 0.24 है0 व ख0न0 4912 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 है बनाये गये है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। खसरा न0 4909 व 4910 भूमि सिवायचक भूमि के रूप मे दर्ज है एवं वादी द्वारा उस पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है इसलिए ही धारा 91 को नोटिस वादी को दिया गया है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अंकन किया है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किये है जबकि अपीलांट द्वारा खसरा पत्रक अपने जबाब के सर्मथन मे प्रस्तुत किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय संदेहास्पद होने से खारिज योग्य है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नही रही। अपीलांट द्वारा कार्यालय मे क्षैत्र की सिवायचक भूमि के बारे मे जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि तो गैरखातेदारी मे दर्ज हो चुकी है। इस पर अपीलांट द्वारा नकल प्राप्त कर जानकारी प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.1.21 को अपास्त फरमाया जाकर भूमि को पुनः सिवायचक रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:43:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधापुर

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो0/वादी को ग्राम उदई कलां मे दिनांक 28.1.83 को भूमि साबिक ख0न0 1437 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा राजस्व अभियान के दौरान एडवाईजरी कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी। तभी से इस भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। भू प्रबंध के कर्मचारियो ने गलत मिलान क्षैत्रफल तैयार कर साविक ख0न0 1437 को केवल एक ख0न0 4910 रकबा 0.14 है0 कायम किया गया तथा बाकी 6 ऐयर रकबा हाल ख0न0 4909 मे दर्ज कर दिया गया एवं मिलान क्षैत्रफल मे ख0न0 4909 को साविक ख0न0 438/1 से बनना गलत अंकित कर दिया। जबकि हाल ख0न0 4909 वादी को आवंटित भूमि साबिक ख0न0 1437 को हिस्सा है। ख0न0 4909 व 4910 सिवायचक दर्ज चले आ रहे है। जबकि ये दोनो नम्बर वादी की खातेदारी की भूमि है। रेस्पो0 विवादित आराजीयात पर आवंटन के समय से काबिज काश्त है। जो नकल खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत 2069 से 2075 तक लगातार कब्जा सिद्व करता है। भू प्रबंध कर्मचारियो द्वारा गलत रूप से भूमि को सिवायचक दर्ज करने के कारण ही अपीलांट द्वारा रेस्पो0 को धारा 91 का नोटिस जारी कर भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई थी। इस कारण ही रेस्पो/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर आवंटित भूमि की खातेदारी प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधि के प्रावधानो के अनुरूप तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का पूर्ण रूप से विचेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिक निर्णय है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि मिलान क्षैत्रफल मे वर्तमान खसरा न0 4910 रकबा 0.14 है0 है जो साबिक ख0न0 1437 से बना है तथा ख0न0 4909 साबिक ख0न0 1438 से बनना पाया गया है। साबिक व हाल नक्शा ट्रेसो के मिलान से ख0न0 4910 रकबा 0.14 है0साबिक ख0न0 1437 से बना है तथा वर्तमान ख0न0 4909 साबिक ख0न0 1438 से बनना पाया गया है। वादी का कब्जा भी भूमि ख0न0 4910 रकबा 0.14 है0 पर दस्तावेजो से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति मे ख0न0 4909 रकबा 0.06 है0 को रेस्पो0/वादी की खातेदारी मे हजफ किया जाना उचित प्रतीत होने से अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 101/16 निर्णय व डिक्री मे आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि आराजीयात ख0न0 4909 रकबा 0.06 है0 वादी/रेस्पो0 की खातेदारी मे से हजफ किया जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:45 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर